26.9.17

विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 05.09.2017 को मुख्य आउट फॉल ड्रेन/सिवरेज STP से निकलने वाले शोधित जल का उपयोग सिंचाई एवं कृषि कार्य में करने संबंधी कार्य योजना तैयार करने के संबंध में विचार–विमर्श हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– निम्नवत्

विकास आयुक्त, बिहार सरकार, पटना।
प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना।
प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना।
नगर आयुक्त, पटना नगर निगम।
प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना।
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक, बुडको, पटना।
मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना।
मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पटना।
मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना।
महाप्रबंधक (तकनीकी), बुडको, पटना।
महाप्रबंधक (कार्य), बुडको, पटना।

बैठक में बुडको द्वारा एक प्रस्तुतिकरण किया गया। यह बताया गया कि पटना शहर में NMCG के अंतर्गत 06 जोन में सिवरेज तथा STP की योजना स्वीकृत है– दीघा, बेऊर, सैदपुर, कंकड़बाग, पहाड़ी एवं करमलीचक। इसमें दीघा को छोड़कर अन्य सभी का Outfall बादशाही नाले में होगा तथा दीघा जोन का Outfall गंगा नदी में प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त गया Waste Water Project तथा मुंगेर सिवरेज एवं STP योजना भी NMCG से स्वीकृत है।

2. NMCG के अंतर्गत अन्य शहरों यथा– बाढ़, मोकामा, सुलतानगंज एवं नवगछिया में I&D (Interception and Diversion) की योजना स्वीकृत है।

3. बुडको द्वारा सिवरेज एवं STP के चालू योजनाओं के बारे में भी बताया गया। राजगीर में योजना पूर्ण हो चुकी है। बोधगया एवं बक्सर में योजना का कार्यान्वयन जारी है तथा बेगूसराय एवं हाजीपुर में पुराने संवेदक को Terminate करने के पश्चात् पुनर्निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

4. इसके अतिरिक्त राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न शहरों यथा– भागलपुर, सासाराम, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर एवं कटिहार में Storm Water Drainage योजना के संबंध में भी चर्चा की गई। इसमें सहरसा एवं सासाराम की योजना स्वीकृत हो चुकी है। दरभंगा एवं मधुबनी की योजनाएँ स्वीकृति की प्रक्रिया में है तथा अन्य शहरों की योजनाएँ भी चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

5. यह बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया है कि शहरों में निर्मित होने वाले Sewerage तथा Storm Water Drainage के जल को शोधित कर यथासम्भव सिंचाई एवं कृषि कार्य में उपयोग किया जाना है। किसी भी परिस्थिति में शोधित जल भी नदियों में नहीं गिराया जायेगा।

6. यह भी चर्चा की गई है कि कृषि कार्य के अतिरिक्त बचे हुए शोधित जल को राज्य के Thermal Pwer Plants के उपयोग हेतु भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये नये Tariff Policy की धारा 6.2 (5) के आलोक में दिया जा सकता है।

7. चर्चा के उपरांत निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

(i) पटना में निर्मित होने वाले सभी STP के Effluent का सिंचाई में व्यवहार करने के संबंध में DPR निर्माण का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जाय।

(ii) पटना के बाहर 100 MLD से कम की क्षमता वाले STP के निस्सरण को सिंचाई में प्रयोग करने के DPR का निर्माण एवं कार्यान्वयन लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जाय तथा 100 MLD से अधिक की क्षमता वाले STP के निस्सरण को सिंचाई में प्रयोग करने के DPR का निर्माण एवं कार्यान्वयन जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जायेगा।

(iii) दो दिनों के अन्दर सभी Sewerage Treatment Plant के DPR की प्रति जल संसाधन विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग को बुडको द्वारा उपलब्ध कराया जाय।

(iv) आमतौर पर नालों एवं सिवरेज का Water Level खेतों से नीचे होता है। ऐसी स्थिति में शोधित जल को Pump करके सिंचाई में उपयोग करने की आवश्यकता होगी। तद्नुसार कार्य योजना बनाया जाय।

(v) खेतों में सिंचाई कार्य के लिए Field Channel का निर्माण करना होगा। तद्नुसार कृषि विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग से भी समन्वय किया जाय।

(vi) अगले 15 दिनों के उपरान्त की गयी कार्रवाई पर पुनः इस संबंध में समीक्षा की जायेगी।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

विश्वासभाजन,

(शिशिर सिन्हा)
विकास आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–06/2017 6413 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 26.9.17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बुडको/बिहार राज्य जल पर्षद/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017

(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०नि०–02–06/2017 6413 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 26.9.17

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

22/9/2017

सरकार के प्रधान सचिव।